सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-160/2021 दिनांक- 2 9-मार्च-2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा व एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर व एक अदद चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, पाँच अदद गोवंश व एक अदद पिकप बरामद

वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक/आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक हिमेन्द्र सिंह मय वरि0उ0नि0 केशर यादव मय हमराह का 0 सन्तोष कुमार , का0 अंकुर सिंह , का0 शैलेन्द्र कुमार ,का0 अँकित सिंह , म0 का0 प्रिति सिंह ,म0 का 0 साधना तोमर के रवाना शुदा रो 0आम तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र भ्रमण होलीका दहन से अभियुक्तगण 1. मो0 अरमान पुत्र गुफ्तार अहमद निवासी पडेरुआ थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष 2. मो0 अहमद पुत्र कुरबान अहमद निवासी बडेसर थाना बडेसर जनपद गाजीपुर हाल पता सठियाव बाजार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष को एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोखा व एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर मय एक अदद चाकू व 05 अदद गोवंश बैल मय एक अदद पिकप नं 0 UP 53 CT 6313 के साथ दिनाकं 28.03.2021 को समय 20.05 बजे अमुवारी तिराहा वफासला 08 कि0मी0 पूरब दक्षिण से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/2021 धारा 307/34 IPC व मु0अ0सं0 100/2021 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11(च) पशु क्रुरता नि0अधि0 बनाम 1. मो0 अरमान पुत्र गुफ्तार अहमद निवासी पडेरुआ थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ 2. मो0 अहमद पुत्र कुरबान अहमद निवासी बडेसर थाना बडेसर जनपद गाजीपुर हाल पता सठियाव बाजार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 3. पिकप वाहन का चालक नाम पता अज्ञात व मु 0अ0सं0 101/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो 0 अरमान पुत्र गुफ्तार अहमद निवासी पडेरुआ थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ व मु 0अ0सं0 102/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो 0 अहमद पुत्र कुरबान अहमद निवासी बडेसर थाना बडेसर जनपद गाजीपुर हाल पता सठियाव बाजार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मो0 अरमान पुत्र गुफ्तार अहमद सा0 पडेरुआ थाना मोहम्मदाबाद जनपद- मऊ
2. मो0 अहमद पुत्र कुरबान अहमद सा0 सठियाव थाना मुबारकपुर जनपद- आजमगढ

बरामदगी-

पाँच राशि गौववंश (बैल)व एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद चाकू नाजायज व एक अदद पीकप UP 53 CT 6313 सीज।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 99/21 धारा 307/34 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 100/21 धारा 3/5a/8iगोवध निवा. अधि0 व 11 पशु क्ररता अधि0 थाना जीयनपुर
3 मु0अ0सं0 101/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 102/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हिमेन्द्र सिंह थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ
2. व0उ0नि0 केशर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 संतोष कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 अंकुर सिंह, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 शैलेन्द्र कुमार, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
6. का0 अँकित सिंह, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
7.म0 का0 प्रिति सिंह, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
8.म0 का0 साधना तोमर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना महराजगंज

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब 200 शीशी प्रत्येक में 120 लीटर व देशी शराब ठेके की 40 पिपिया में 2ml (लीटर 24) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवैध शराब बनाने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी व वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये/ गये अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षकआजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व

क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28 03.21.को SHO गजानन्द चौबे मय हमराह के रवाना होकर होली पर्व के दृष्टिगत शांति सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी व आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु भ्रमण कर क्षेत्र मे मामूर होकर कस्बा महराजगंज में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि ग्राम शंकरपुर का प्रधान निरंजन राम जो कि आगामी पंचायत चुनाव लड़ रहा है एक सफेद स्कार्पियो गाड़ी में अबैध मिलावटी देशी शराब व काफी मात्रा में सरकारी ठेके वाली देशी शराब लेकर बिलरियागंज से परशुरामपुर होकर अपने गाँव की तरफ आ रहा है यह शराब आगामी चुनाव में मतदाताओ का बांटने हेतु ले जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर SHO द्वारा कस्बा महराजगंज में ही मौजूद उ 0का0 प्रशिक्षु योगेन्द्र प्रसाद को मय महराह हे 0नि0 समेरिका यादव के नया चौक महराजगंज पर तलब किया गया जो मय हमराह उपस्थित आये कि SHO मय हमराहियान व मुखबिर के व उ के साथ प्रस्थान कर परशुरामपुर नहर पुलिया पर पहुँचकर आड़ में गाड़ी खड़ी कर आने जाने वाले वाहनो की निगरानी करने लगे 0नि0 कि थोड़ी देर में एक सफेद स्कार्पियो परशुरामपुर की ओर से आती दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो चालक तेजी से नहर पटरी पर जमालपुर की ओर गाड़ी मोड़कर भागने लगा कि पुलिस टीम द्वारा जीप से पीछा कर उपरोक्त स्कार्पियो को रुपयनपुर नहर पुलिया के पास ओवर टेक कर रोक लिया गया कि वाहन चालक अचानक गाड़ी से कूदकर अन्धेरे का लाभ उठाकर भाग गया। गाड़ी में बैठे 0 व्यक्तियो को मौके पर पकड़ लिया गया व स्कार्पियो वाहन नं 02UP 50BR की तलाशी ली गई तो गाड़ी 5163 लीटर 40 पिपिया में 2 शीशी देशी सरकारी ठेके की शराब व 120 की पिछली सीटों पर व सीटों के बीच एक प्लास्टिक की बोरी में कुल ग्राम फिटकरी का चूर्ण बरामद हुआ 200 ग्राम यूरिया व 250 कच्ची शराब जैसी वस्तु था सीट पर ही प्लास्टिक की पन्नी में। बरामद माल के सम्बन्ध में पूछताछ करते हुए व पकड़े गये व्यक्तियो की जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम रामनयन पुत्र पल्टन नि अराजी बगहवा थाना 0 शंकरपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ व दूसरे ने अपना नाम संजय राम पुत्र रामपलट नि 0 महराजगंज आजमगढ़ बताया तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम पूछने पर दोनो व्यक्ति बताये कि भागने वाला व्यक्ति निरंजन राम पुत्र अराजी शंकरपुर थाना महर 0रामकरन नि ाजगंज जनपद आजमगढ़ है पूछताछ करने पर बताये कि साहब निरंजन राम वर्तमान में शंकरपुर के प्रधान है तथा आगामी चुनाव में महाप्रधान का चुनाव लड़ने वाले है हम लोग उनके सहयोगी है जो शराब देशी सरकारी ठेके वाली आप पकड़े है वह तथा पिपिया में जो शराब है वह भी हम लोग अपने क्षेत्र में ले जाकर मतदाताओं को बांटने वाले थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। साहब शीशी वाली शराब सरकारी ठेकों की है तथा पिपिया में 20– लीटर मिलावटी कच्ची शराब है जिसमें 20 तीव्रता बढाने व तेज नशा होने के लिए हम लोगो ने यूरिया व फिटकरी मिलाया है तथा जो यूरिया फिटकरी बचा था वह गाड़ी में ही रखा है। यह स्कार्पियो गाड़ी निरंजन राम ही चलाते है आज भी वही चला रहे थे इसी गाड़ी से हम लोग मिलकर शराब लादकर लाते ले जाते है इस गाड़ी के बारे में निरंजन राम ही जानते है हम लोगों को कुछ पता नही है। अभियुक्तगण का यह कृत्य अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है। अतः अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा 272, 273, 188IPC व 72/60Ex. Act के बजाफ्ता बकायदा समय बजे हिरासत पुलिस में लिया गया 23.15। शराब के परिवहन के सम्बन्ध में तथा वाहन के कागजात माँगने पर अभिग0ण दिखाने से कासिर रहे। वाहन स्कार्पियों नं 0UP 50BR को अभियोग में दाखिल करने के साथ साथ 5163MV ACT में भी सीज किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण</u>

.1रामनयन पुत्र पल्टन निवासी शंकरपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
.2संजय राम पुत्र रामपलट निवासी अराजी बगहवा थाना महराजगंज आजमगढ़

<u>बरामदगी-</u>

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब 200 शीशी प्रत्येक में 120 लीटर व देशी शराब ठेके की 40 पिपिया में 2ml (ग्राम 250 व (लीटर 24 अदद 01 ग्राम फिटकरी पाउडर व 200 यूरिया ववाहन स्कार्पियो

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

मु272 धारा 21/98 0सं0अ0, 273, 188IPC व आबकारी अधिनियम 72/60

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

SHO गजानन्द चौबे मय हमराह उ0नि0 प्रशिक्षु योगेन्द्र प्रसाद, हे0का0 समेरिका यादव, का0 अभिषेक राय, रि0का0 आनन्द, म0का0 मधुबाला यादव व म0का0 प्रार्थना तिवारी

थाना -महराजगंज

अवैध शराब 0ली 20के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवैध शराब बनाने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान मे *पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह* द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में दिनांक 28.03.2021को उ0नि0 देवनाथ यादव मय हमराह को साथ लेकर वजरंग चौक से प्रस्थान कर महराजगंज राजेसुल्तानपुर रोड भैरवदासपुर रोड पुलिया पर पहुचे कि एक व्यक्ति मोटर साईकिल के रोशनी में पैदल आता हुआ दिखाई दिया इसकी हाथ मे प्लास्टिक की पीपीया थी पैदल आने वाले व्यक्ति की ओर मुखवीर इशारा करके वहाँ से चला गया कि अचानक पुलिस टीम को देखकर वह व्यक्ति पीछे मुड कर भागने की कोशिश किया । लेकिन हिकम्मत अमली से एक वारगी घेरकर उस व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से जमा तला शी लेते हुए उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सोनू गौड पुत्र रामअचल गौड निवासी रामपुर थाना– महराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया कि साहब इसमें लीटर कच्ची अवैध शराब है । इसे 20 वेचकर अपने परिवार को चलाता हूँ । पीपीया का ढक्कन खोलकर सुंघा गया तो शराब जैसी गन्ध आ रही अतः उसे कब्जा पुलिस लेते 60 हुए आरोपी को अन्तर्गत धाराEx Act कारण गिरफ्तारी वताकर समय करीव वजे हिरास्त पुलिस मे लिया गया 21.20 । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

सोनू गौड पुत्र रामअचल गौड निवासी रामपुर थाना – महराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

अवैध शराब 0ली 20

पंजीकृत अभियोग-

मु 60 धारा 21/97 0सं0अ0Ex. Act

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ देवनाथ यादव मय हमराह 0नि0PRD रामलवट यादव

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 40 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।